उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–7

संख्या :1216(2)/नौ–7–14–01घोषणा/2013

लखनऊ : दिनांक :07 अगस्त, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा–8कक की उपधारा–(1) के खण्ड–(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सरकारी अधिसूचना संख्या–1216/नौ–7–14–01घोषणा/2013, दिनांक 04 अगस्त, 2014 में इस रूप में घोषित कि फिरोजाबाद नगर निगम, उसके महापौर, कार्यकारिणी समिति और धारा–5 के खण्ड–(ड.) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और नगर आयुक्त की समस्त शक्तियॉ, कृत और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद में निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और उसे इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त नगर निगम के प्रशासक के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से,

05/8/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या–1216(3)/नौ–7–14–01घोषणा/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 7.8.14 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 100 प्रतियॉ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।

संख्या–1216(3)/नौ–7–14–01घोषणा/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना/आदेश को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।